महत्वपूर्ण

पत्र संख्या—कमिश्नर कैम्प/20018—19 / 412 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(कमिश्नर—कैम्प)
लखनऊ:: दिनॉक:: 27 जून, 2018

—:: कार्यालय ज्ञाप ::—

शासकीय कार्मिको के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में जॉच उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(अनुशासन एवं अपील)नियमावली—1999 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। इसी क्रम मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के परिपत्र संख्या—1/2015/13/9/98/का—1—2015 दिनॉक 22.04.2015 में पुनः जॉच कार्यवाही हेतु प्रक्रिया निर्गत की गयी है।

उपरोक्त के संबंध में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—सं0वि0क0नि0—1—रिट—983/11—2018—1035 (55)/13 दिनॉक 26.06.2018 द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि शासन स्तर पर प्राप्त जॉच आख्याओं के परीक्षणों परान्त यह तथ्य प्रकाश में आये है कि नामित जॉच अधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार जॉच कार्यवाही सम्पादित नहीं की जा रही है और इस तथ्य का संज्ञान मा0 उच्च न्यायालय/मा0 लोकसेवा अधिकरण द्वारा भी समय—समय पर लिया जा रहा है।

अतः शासन के निर्देशों के क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि अनुशासनिक कार्यवाहियों में नामित जॉच अधिकारी उपरोक्त संदर्भित नियमावली एवं शासन के परिपत्र में वर्णित प्रक्रियानुसार जॉच कार्यवाही सम्पादित कर नियत समयावधि में जॉच आख्या शासन/मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नकः—यथोपरि।

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपिः—1— एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन)/ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना/सेवावाद)वाणिज्य कर, मुख्यालय को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु।

2— ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

A.C.(IT) D.C.(IT) 28.6.18

1005 28.6.18

उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–1
सं0–सं0वि0क0नि0–1–ई–983/11–2018–1035(55)/13
लखनऊ::दिनॉक:: 26 जून, 2018

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध समय–समय पर प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही/संस्थित कार्यवाही के संबंध में शासन स्तर पर पूर्व में प्राप्त जॉच आख्याओं के परीक्षणोपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया है कि नामित जॉच अधिकारी द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 में विहित प्रक्रिया के अनुसार जॉच सम्पादित नही की जा रही है। इस तथ्य का संज्ञान मा0 उच्च न्यायालय/मा0 लोक सेवा अधिकरण द्वारा भी समय–समय पर लिया जाता रहा है।

2– अतः उपरोक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त अद्यतन प्रचलित समस्त अनुशासनिक कार्यवाहियों से संबंधित नामित जॉच अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित जॉच प्रक्रिया में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 में उल्लिखित प्रक्रिया एवं मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के परिपत्र सं0–1/2015/ 13/9/98/का–1–2015 दिनांक 22.04.2015 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार ही जॉच की कार्यवाही सम्पादित करें एवं नियत समयावधि में जॉच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करें।

मो0 मारूफ
विशेष सचिव

<u>संख्या:–सं0वि0क0नि0–1–ई–983(1)/11–2018, तद्दिनॉक।</u>

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 कमिश्नर, वाणिज्य–कर, उ0प्र0, लखनऊ।
2 ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना/सेवावाद) वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
3 कमिश्नर वाणिज्य को इस आशय से प्रेषित कि अद्यतन प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित नामित समस्त जॉच अधिकारियों को तामील कराकर तामीली की सूचना शासन को उपलब्ध करायें।
4 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
उप सचिव